

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू


(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

दमा नं. : 19/2025

मनसुख बनाम काशीराम वगै०

पीठासीन अधिकारी से अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह बुडानिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 10.06.2025 हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम देवा का बास तहसील झुन्डुनू में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 100 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 101 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म कुआ, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 रकबा 3.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 रकबा 2.92 हैक्टर कुल खसरे 5 कुल क्षेत्रफल 6.17 हैक्टर कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।


पचास दिनांक 10.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू  
उपखण्ड अधिकारी (राज.)



वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अर्जी	6
मेहनतनामा वकील	मेहनतनामा वकील पर	1
खर्चा गवाहान	खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर	1000
बाबत इजराय हुक्मनामा	बाबत इजराय हुक्मनामा	
	मुतफरिक	
योग	योग	1007

  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू  
उपखण्ड अधिकारी (राज.)